

# खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, जयपुर

## आवश्यक सूचना

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के आदेश दिनांक 12.01.2017 जो प्रकरण एकलपीठ सिविल याचिका संख्या 7276/2016 में दिया गया, की पालना में खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण को क्रियाशील कर दिया गया है। चूंकि अपरिहार्य कारणों से सुनवाई शुरू किया जाना सम्भव नहीं है, अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 के अन्तर्गत न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील का पंजीकरण प्रारम्भ कर दिया गया है। पंजीकरण का प्रारूप अधिकरण की वेबसाईट <http://fsat-raj.in> पर उपलब्ध है। अपील प्रस्तुत करने की प्रक्रिया भी उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध है।

दिनांक: 23.01.2017

आज्ञा से,

रजिस्ट्रार